पत्राँकः– YEIDA / उद्योग / 2022 / 10916 दिनांक 31/08/2022

संशोधित कार्यालय–आदेश

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2021 के मद संख्या– (70/10) एवं प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2020 के मद संख्या– (69/10a) पर योजना संख्या– YEA/ IND2000(2013)-01 & 02, ओपन एन्डेड योजना संख्या– YEA/OPEN-IND(2013)-01 व मिक्स लैण्ड यूज योजना संख्या– YEA/ OPEN-MSU(2014)-01 व MLU/2015/03 आवंटियों को शून्य कॉल (Zero Period) का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में मा0 प्राधिकरण बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2020 तक (अर्थात 02 वर्षो हेतु) शून्य काल (Zero Period) घोषित किये जाने से सम्बन्धित लिये गये निर्णय के कम में पूर्व में जारी शून्य काल से सम्बन्धित कार्यालय–आदेश संख्या– YEIDA/उद्योग/2022/10904 दिनांक 26.08.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् संशोधित कार्यालय–आदेश जारी किया जाता हैः–

1. सैक्टर – 32, 33 व मिक्स लैण्ड यूज योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी आवंटी जिन्हें आवंटन तिथि से 04 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्राधिकरण अवस्थापना सुविधाओं सहित आवंटित भूखण्डों पर भौतिक कब्जा नही दे पाया है ऐसे सभी औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों के पक्ष में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2020 तक (अर्थात् 02 वर्षों हेतु) शून्य कॉल घोषित किया जाना प्रस्तावित है।
2. औद्योगिक भूखण्डों के आवंटी, जो शून्य कॉल (Zero Period) का लाभ लेंगें, उनसे इस आशय का शपथ – पत्र लिया जाना प्रस्तावित है कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध कोई वाद योजित नही किया गया है और न ही उनके द्वारा भविष्य में कोई वाद योजित किया जायेगा।
3. यमुना एक्सप्रेसवे इन्टरप्रिन्योर्स एसोसिएशन द्वारा शून्य कॉल (Zero Period) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद संख्या – 35847/2019 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव है जिसे YEA (Yamuna Expressway Entrepreneurs Association द्वारा State of UP & others के विरूद्ध योजित वाद् संख्या–35847/2019 को दिनांक 04.02.2022 को वापस लिया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण के विधि विभाग द्वारा इस वाद् की वापसी की पुष्टि अपने पत्र संख्या– 133/2022 दिनांक 14.03.2022 द्वारा की गई है।
4. ऐसी आवंटी जिन्हें ओ.टी.एस. का लाभ वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिया जा चुका है, उन्हें शून्यकाल का लाभ अनुमन्य किया जाएगा। परन्तु ओ.टी.एस. के प्राविधान शिथिल नही होंगे।
5. जिन लोगों ने आवंटन–पत्र में उल्लिखित पेमेन्ट प्लान के अनुसार एक मुश्त धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 01.04.2018 से पूर्व जमा करा दी गयी हों, तो उन्हें शून्य काल का लाभ अनुमन्य नही होगा।

इस तरह अनुमन्य शून्य काल (Zero Period) के लाभ का आगणन निम्न पद्धति से सिस्टम में सुनिश्चित किया जाना हैः–

1. औद्योगिक आवंटनो में सभी भूगतान विकल्पों (Payment Plan) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2018 तक कि अतिदेय धनराशि का निर्धारण पूर्ववत ही निकालना होगा।

2. दिनांक 01.04.2018 को प्रत्येक आवंटी की वह मूलधन की धनराशि जो आगामी किश्तों में सन्निहित है, उस धनराशि को Capitalize किया जाना होगा। इस तरह यह Capitalize की गयी धनराशि 01.04.2018 तक (इस तिथि से पूर्व में अतिम किश्त की देय तिथि से) निर्धारित दर पर ब्याज अगणित करते हुये ही Capitalize की जानी है।

3. उपरोक्त बिन्दु 1, 2 के अनुरूप Over Dues एवं भविष्य की मूलधन की देयता को आगणन कर Capitalize करने के उपरान्त शून्यकाल की अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020 तक आवंटी द्वारा जमा कि गई किश्तों व अतिरिक्त प्रतिकर की मद में जमा धनराशि का समयोग 01.04.2018 में कुल Capitalize Value से घटाते हुये अवशेष देय Capitalize Value निकाली जानी होगी जो शून्यकाल के आदेशानुसार अब 01.04.2020 को देय के रूप में दिखाया जाना है।

4. अतिरिक्त प्रतिकर के मद में निर्धारित देयता की प्रथम चार किश्तों के मूलधन की धनराशि जो 15.12.2015 से 15.06.2017 में देय थी उन्हे भी 01.04.2020 को देय बनाते हुए इस मद में जमा धनराशि को घटाने के उपरान्त यदि कोई अवशेष देयता बनती है तो उसे दिनांक 01.04.2020 को देय दिखाना होगा।

5. बिन्दु 3 के अनुरूप 01.04.2020 को आगणित कि गई कुल अवशेष देय धनराशि को 01.04.2020 अथवा मूल आवंटन के अनुरूप देय अन्तिम किश्त की देय तिथि तक शेष छमाई किश्तों में विभिन्न समय अंतराल में प्रभावी Defferment rate of Interest i.e. 12 %, 10.50%, 8.50% व 9% से किश्तों का निर्धारण किया जाना होगा और उसे देयता में निर्धारण किया जाना होगा और उसे देयता में दर्शाया जाना होगा।

यदि किसी आगणन में 31.03.2020 को अवशेष देयता Negative अर्थात अधिक जमा है तो वह प्रदर्शित हो रही अधिक जमा धनराशि भविष्य की अतिरिक्त प्रतिकर देय किश्त के सापेक्ष जमा प्रदर्शित करनी होगी। इसके उपरान्त भी यदि कोई अधिक जमा धनराशि शेष बनती है तो उस धनराशि का लीज रेन्ट एवं भविष्य में अन्य कियी देयता में समायोजित कर लिया जायेगा।

6. उपरोक्त बिन्दु 4 के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिकर की देयता को 31.03.2020 को देय अवशेष किश्तों (अतिरिक्त प्रतिकर किश्त ECI -01 to 04) में समायोजन कर पूर्व की निर्धारित तिथियों में देय दिखाना होगा व Default का आगणन सामान्य प्रकिया अनुरूप कराना होगा।

7. इस तरह शून्यकाल अवधि के कार्यालय आदेश को सिस्टम में Intregrate करने के लिए सिस्टम को आगणन उपरोक्तानुसार 01.04.2018 तक की देयता तथा 31.03.2020 तक की समस्त जमा धनराशि को फ्रिज करना होगा क्योकि इस तिथि में अवशेष देय धनराशि का आगणन कर पुनः किश्तो का निर्धारण किया जा रहा है और इस तरह आगणित किश्ते तथा अतिरिक्त प्रतिकर की किश्ते उपरोक्तानुसार देयता में Activated रहेगी पूरानी किश्ते Payment Intimation एवं आगणन मे Delete मानी जायेगी, इसके साथ ही दिनांक 31.03.2020 के बाद जमा धनराशि देय किश्तों (पुर्ननिर्धारित एवं अतिरिक्त प्रतिकर) के सापेक्ष गणना में शामिल करके डिफॉल्टर इत्यादि की गणना करते हुए Payment Intimation बनाना सुनिश्चित की जायेगी।

8. दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2020 तक की किश्तों /अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज नही लिया जायेगा, तथा जिन आवंटियों द्वारा इस अवधि में ब्याज एवं दण्ड ब्याज दिया गया है, उन्हें आगामी किश्तों/लीजरेन्ट में समायोजित कर लिया जायेगा। तत्पश्चात ब्याज की गणना पूर्व की भांति की जायेगी।

9. इस तरह जो अवशेष धनराशि निकल कर आयेगी उसे ऑवटी से चार छमाही किस्तों में बराबर–बराबर वर्तमान प्रचलित ब्याज पर वसूल किया जायेगा।

10. शून्य काल अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकरण में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11. औद्योगिक भूखण्डों के आवंटी, जो शून्य कॉल (Zero Period) का लाभ लेंगे, उनसे अनुरोध पत्र तथा इस आशय का रू0 100 पर नोटराईज्ड शपथ–पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध कोई वाद योजित नही किया गया है और न ही उनके द्वारा भविष्य में कोई वाद योजित किया जायेगा।

उपरोक्त के आधार पर योजना संख्या– YEA/ IND2000(2013)-01 & 02, ओपन एन्डेड योजना संख्या– YEA/OPEN-IND(2013)-01 व मिक्स लैण्ड यूज योजना संख्या– YEA/ OPEN-MSU(2014)-01 व MLU/2015/03 के आवंटियों को शून्य काल (Zero Period) का लाभ प्रदान किया जायेगा तथा सिस्टम विभाग उपरोक्तानुसार प्रोग्राम के माध्यम से शून्यकाल के लाभ के साथ पेमेन्ट इंटीमेशन जारी करेगा।

भवदीया,

(डा0 स्मिता सिंह)
सहायक महाप्रबंधक (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0) को, सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0/एस0के0एस0) को, सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक (वित्त/उद्योग/नियोजन/परियोजना) को, सूचनार्थ।
5. सहायक महाप्रबंधक/प्रबंधक (उद्योग) को, अनुपालनार्थ।
6. सहायक महाप्रबंधक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
7. यमुना एक्सप्रेसवे एन्टरप्रेन्योर एसोसिएशन, पता–132, उद्योग विहार एक्सटेन्शन, इकोटेक–II, ग्रेटर नोएडा–201308 को सूचनार्थ प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।

सहायक महाप्रबंधक (उद्योग)

रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र

प्रारूप

सहायक महाप्रबन्धक महोदया (उद्योग)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

शपथ पत्र ओर से ..... निवासी ..... मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :–

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।
2. यह कि योजना ..... आवंटन संख्या ..... भूखण्ड संख्या..... सैक्टर– ..... आकार ..... वर्गमी0 का आवंटी हूं।
3. यह कि प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक मे लिये गये निर्देश के कम में जारी पत्र/कार्यालय आदेश दिनांक 13.07.2021 के आधार पर मुझे अपने भूखण्ड के सापेक्ष शून्य काल अवधि का लाभ दिया जाये।
4. यह कि शून्य काल अवधि का लाभ लेने से पूर्व मेरे द्वारा भारत वर्ष के किसी भी सक्षम न्यायालय में इससे पूर्व प्राधिकरण के विरूद्ध कोई वाद योजित नही किया गया है। अगर मेरे द्वारा किसी भी न्यायालय (मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सिविल न्यायालय,उपरोक्त विवाद निवारण आयोग तथा अन्य किसी समक्ष न्यायालय) में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरूद्ध कोई वाद योजित किया गया है तो मैं उसे वापस लूंगा और तथा भविष्य में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं करूंगा।
5. यह कि मैं शून्यकाल अवधि का लाभ मिलने के बाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्तों का समयानुसार भुगतान करूगा।
6. यह कि शपथ पत्र की उपरोक्त धारा 1 ता 5 मेरे निजी ज्ञान में सब सच व सही है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में से कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि नुक्सान की धनराशि का भुगतान मुझ या मेरे उत्तराधिकारियों से भत्ता हर्जा, खर्चा तथा मय ब्याज भू–राजस्व की भांति या अन्य किसी अन्य तरीके से वसूल कर लिया जाये। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांकः–

शपथकर्ता